दिनांक 21.12.2023 को माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में आहूत बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

1. न्यायमूर्त्ति श्री अनंता मनोहर बदर, माननीय अध्यक्ष - उपस्थित।
2. श्री उज्ज्वल कुमार दुबे, माननीय सदस्य - उपस्थित।
3. श्री शशि शेखर शर्मा, माननीय सदस्य - अनुपस्थित।

विचारणीय विषय/एजेन्डा:-

1. पूर्व की बैठकों में लिए गये निर्णयों की सम्पुष्टि।
2. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (BALSA) में विधिक सेवा हेतु उपलब्ध अधिवक्ताओं के पैनल से बिहार मानवाधिकार आयोग के लिए अधिवक्ताओं की सूची उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
3. The Sexual Harassment of Women at work place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (No. 14 of 2013) की धारा-4 के प्रावधानानुसार आयोग कार्यालय के लिए ''आन्तरिक परिवाद समिति'' के गठन के सम्बन्ध में।
4. माननीय अध्यक्ष के अनुमति से अन्यान्य विषय।

निर्णय

1. आयोग के दिनांक-19.12.2023 व 20.12.2023 की बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि की जाती है।
2. आयोग में राज्य के सभी जिलों से मानवाधिकार हनन से संबंधित मामलों की सुनवाई के क्रम में कई मामलों में पीड़ित को सुना जाना आवश्यक होता है। आयोग में दाखिल परिवादों के पीड़ित, समाज के कमजोर व गरीब लोग होते हैं तथा वे लोग विधिक रूप से आयोग के समक्ष अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रख पाते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्य जिलों से मानवाधिकार हनन से संबंधित मामलों की सूचना प्राप्त होने पर आयोग के अधिकारियों को जाँच हेतु स्थल पर जाना पड़ता है, जहां पीड़ित पक्ष विधिक रूप से अपना पक्ष नहीं रख पाते हैं, जिससे आयोग को उनके मानवाधिकार हनन के मामले में समुचित राहत प्रदान करने में परेशानी होती है।

कृ0पृ0-02 पर

उक्त के आलोक मे यह निर्णय लिया गया कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (BALSA) के लिए उपलब्ध अधिवक्ताओं के पैनल से आयोग के लिए अधिवक्ताओं की सेवा लेने हेतु, BALSA से अनुरोध करते हुए उनसे इस निमित्त अधिवक्ताओं की सूची की मांग की जाय साथ ही साथ BALSA से यह अनुरोध किया जाय कि BALSA के द्वारा आयोग के लिए उपलब्ध कराये गये अधिवक्ताओं के फीस का वहन BALSA द्वारा किया जायेगा। इस सम्बन्ध में आयोग के निबंधक के द्वारा समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

3. The Sexual Harassment of Women at work place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 **(अधिनियम–2013)** की धारा–4 के प्रावधानानुसार आयोग कार्यालय में **''आन्तरिक परिवाद समिति''** के गठन की **''विधिक अनिवार्यता''** है क्योंकि आयोग के कार्यालय में कई महिला कर्मी कार्यरत है, जिन्हें बेल्ट्रॉन एवं अन्य सेवा प्रदाता संस्थानों द्वारा उपलबध कराया गया है साथ ही साथ आयोग में सुनवाई के क्रम में पीड़ित महिलाएं भी अपना पक्ष रखने आयोग में आती रहती है।

अधिनियम–2013 की धारा 4(2) के अनुसार आयोग के नियंत्रणाधीन किसी महिला पदाधिकारी को ही ''आन्तरिक परिवाद समिति'' के पीठासीन पदाधिकारी के रूप में नियोक्ता (आयोग) द्वारा नामित किया जाना है। सम्प्रति आयोग कार्यालय हेतु सरकार द्वारा ''स्वीकृत पदों'' में कोई महिला पदाधिकारी पदस्थापित नहीं रहने के कारण ''आन्तरिक परिवाद समिति'' का गठन नहीं हो पा रहा है जिस कारण आयोग कार्यालय के स्तर से उपरोक्त विधिक अनिवार्यता का अनुपालन नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम–2013 की धारा–26 के प्रावधानानुसार नियोक्ता (आयोग) पर दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है।

कृ०पृ०–03 पर

उल्लेखनीय है कि वर्त्तमान में आयोग में उप सचिव का पद रिक्त है। पूर्व में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के श्री महेश कुमार दास (कोटि क्रमांक 291/23) को आयोग के उप सचिव के स्वीकृत पद पर पदस्थापित किया गया था, जिनकी प्रोन्नति संयुक्त सचिव के पद पर की जा चुकी है। आयोग कार्यालय हेतु स्वीकृत पदों में संयुक्त सचिव का पद स्वीकृत नहीं है।

उक्त के आलोक में यह निर्णय लिया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से यह अनुरोध किया जाय कि **श्री महेश कुमार दास (कोटि क्रमांक 291/23) सम्प्रति संयुक्त सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना को अन्यत्र स्थानान्तरित कर, आयोग में उप सचिव के रिक्त पद पर किसी महिला पदाधिकारी को तत्काल पदस्थापित किया जाय** जिससे कि **अधिनियम–2013** में उल्लेखित वैधानिक अनिवार्यता का अनुपालन किया जा सके।

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

ह0/–
उज्ज्वल कुमार दुबे
माननीय सदस्य

ह0/–
अनंता मनोहर बदर
माननीय अध्यक्ष

ज्ञापांकः बी0एच0आर0सी0/स्था0– 26/2013 6431 पटना, दिनांक 10/1/2024

प्रतिलिपिः माननीय अध्यक्ष कोषांग/ माननीय सदस्यगण कोषांग/ सचिव कोषांग/ अपर पुलिस महानिदेशक कोषांग/ निबंधक कोषांग, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. संयुक्त सचिव/ अवर सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी(स्थापना)/ प्रशाखा पदाधिकारी (लेखा एवं आपूर्ति)/ प्रशाखा पदाधिकारी (परिवाद) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/1/2024

संयुक्त सचिव
बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना।